

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/221

दिनांक :- 11.10.2023

राजस्व वाद सं. 277/2023

GCMS No. 2023/458

उनवान प्रकरण :- किशोरसिंह बनाम तहसीलदार

-: आदेश:-

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का रूपपुरा-टोरडा व भू.अ.नि. कुचामनसिटी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	रूपपुरा	36	किशोरसिंह पुत्र बोदुसिंह हिस्सा 1/18 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	किशोरसिंह पुत्र बन्नेसिंह हिस्सा 1/18 जाति राजपूत सा. देह खातेदार
2	रूपपुरा	38	किशोरसिंह पुत्र बोदुसिंह हिस्सा 1/18 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	किशोरसिंह पुत्र बन्नेसिंह हिस्सा 1/18 जाति राजपूत सा. देह खातेदार
3	रूपपुरा	113	किशोरसिंह पुत्र बोदुसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	किशोरसिंह पुत्र बन्नेसिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत सा. देह खातेदार
4	रूपपुरा	206	किशोरसिंह पुत्र बोदुसिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	किशोरसिंह पुत्र बन्नेसिंह हिस्सा 1/9 जाति राजपूत सा. देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

क्रमांक/कोर्ट/2023/222-223

दिनांक :- 11.10.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी किशोरसिंह पुत्र बन्नेसिंह राजपूत सा. रूपपुरा तह.कुचामन को सूचनार्थ

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

